

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F.3(21)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/ 907

Dated the 12/11/ 2015

NOTIFICATION

No. F.3(21)/Fin(Rev-I)/2015-2016 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 7.-** In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 7,-

(i) in sub-rule (1), in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:-


“ Provided that in case of cigarettes (irrespective of form and length), the tax credit shall be reduced by 100 percents.” ; and

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) For the purposes of sub-section (10) of section 9 and sub-section (3) of section 10, in case of cigarettes (irrespective of form and length), the tax credit shall be reduced by $\{(R-2)100/R\}$ percents, where R is the rate of tax applicable as per section 4.”.

3. **Amendment of Forms.-** In the principal Rules, in the Forms appended thereto, -

(i) in form DVAT 16, in Annexure-1, in field A3, after sub-field A3.7, the following sub-field shall be inserted, namely:-




A3.7.1 Tax credit disallowed on account of sale made under section 8(1) of Central Sales Tax Act. [Section 9(10)]								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(A. K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

Dated, the 4/11/2015

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
3. Pr. Secy(Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
5. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya,, New Delhi
6. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.A. to Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt. Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi.
12. Guard File.
13. Website



(A.K.SINGH)
Dy. Secretary VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
क्ति (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, चौथा तल, ए विंग
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.एफ. 321/क्ति/(राजस्व-1)/2015-16/डीएस-VI/907

दिनांक 11/4/2015

अधिसूचना

सं.एफ. 321/क्ति/(राजस्व-1)/2015-16 .- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ .- (1) इन नियमों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2015 कहा जायेगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. नियम 7 का संशोधन .- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित), के नियम 7 में,-
 - (i) उपनियम (1) में, खंड ख में, निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

“उपबंध है कि सिगरेटों के मामले में (रूप तथा लंबाई को ध्यान में रखे बिना) कर क्रेडिट 100 प्रतिशत कम किया जायेगा”; तथा
 - (ii) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) “(5) धारा 9 की उपधारा (10) तथा धारा 10 की उपधारा (3) के परियोजन के लिये सिगरेटों के मामले में (रूप तथा लंबाई को ध्यान में रखे बिना) कर क्रेडिट {(आर-2)100/आर} प्रतिशत कम किया जायेगा, जहां धारा 4 के अनुसार लागू कर की दर आर है”।

3. प्रपत्रों का संशोधन .- मूल नियमावली में इसके साथ संलग्न प्रपत्रों में,-

(i) प्रपत्र डीवैट-16 में, परिशिष्ट-1 में, क्षेत्र क 3 में, उप-क्षेत्र क 3.7 के पश्चात् निम्नलिखित उप-क्षेत्र सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

[illegible]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए० के० सिंह)
उप- सचिव -VI (वित्त)

सं.एफ. 3(21)/वित्त/(राजस्व-1)/2015-16/डीएस-VI/907

दिनांक ३१/१५, २०१५

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली ।
4. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
5. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली ।
6. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
7. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली ।
8. नि० सं० नेता प्रतिपक्ष, 29 दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली ।
10. पंजीयक, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. वेट अधिकारी (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. गार्ड फाईल ।
13. वेबसाइट ।

(ए० के० सिंह)
उप- सचिव - VI (वित्त)